



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122022-240817  
CG-DL-E-05122022-240817

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5433]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्राहायण 14, 1944

No. 5433]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5665(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (205एजी) सरहिंद (फतेहगढ़ साहिब)- सेहना (बरनाला) के 0.000 किमी. से 107.844 किमी., तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (205एजी) सरहिंद (फतेहगढ़ साहिब)- सेहना (बरनाला) के 0.000 किमी. से 107.844 किमी. तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट रैभनू औफसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH205 AG के	पंजाब	बरनाला	तापा	1 बल्लोके (3)

	( )	कि.मी. 75.365 से 107.844 तक			
--	-----	-----------------------------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU/PATIALA/11011/SIRHIND-SEHNA/DPR]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2022

**S.O. 5665(E).**— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Sirhind (Fatehgarh Sahib)-Sehna (Barnala) Km. 0.000 to Km. 107.844 of the New National Highway No. (205AG) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of PUNJAB.

**SCHEDULE**

Land acquisition on Sirhind (Fatehgarh Sahib)-Sehna (Barnala) Km. 0.000 to Km. 107.844 of the New National Highway No. (205AG) in the State of PUNJAB.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	district revenue officer BARNALA ( )	75.365KM To 107.844KM	PUNJAB	BARNALA	Tapa	1 Baloke (3)

[F. No. NHAI/PIU/PATIALA/11011/SIRHIND-SEHNA/DPR]

RAJESH GUPTA, Director